विधिपूर्ण उद्देश्य (Lawful objects)

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार यह आवश्यक हैं कि संविदा विधि पूर्वं उद्देश्य के लिए किया गया हो। ऐसे संविदे निश्चयात्मक विधि नैतिकता एवं लोकनीति के विरुद्ध हैं, के विरुद्ध नहीं होने चाहिए।

धारा 23 के अनुसार ऐसे करार जिनका प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध है, निम्न हैं :

(1) विधि द्वारा निषिद्ध संविदे, अथवा

(2) विधि पूर्व उपबन्धों को विफल करने वाले संविदे

(3) कपटपूर्ण संविदे

(4) व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले संविदे अथवा

(5) लोक नीति के विरुद्ध संविदे

इन अवस्थाओं में प्रत्येक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि-विरुद्ध कहलाता है। प्रत्येक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि-विरुद्ध है, शून्य होता है।

(1) विधि द्वारा निषिद्ध (Forbidden by Law) :

ऐसा करार जिनका उद्देश्य अथवा प्रतिफल विधि द्वारा निषिद्ध है तो शून्य है। किसी ऐसे कार्य को करने का करार जिसमें निहित उद्देश्य यदि आपराधिक विधि के विरुद्ध है माना जावेगा। दृष्टांत: अ, एवं ब आपस में लूट द्वारा प्राप्त हुए अथवा होने वाले माल को बांटने का करार करते हैं ऐसा करार विधि विरुद्ध है अतः शून्य है।

(2) किसी विधि के उपबन्धों को विफल करने वाले करार
(Agreement defeat the provisions of any law)

यदि किसी करार का उद्देश्य अथवा प्रतिफल ऐसा है कि इसको लागू करने की अनुमति दे दी जाय तो ऐसा करार विधि के प्रावधानों को विफल कर देगा। इन मामलों में यद्यपि करार अभिव्यक्त रूप से विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होते परन्तु इनका विधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अब्दुल बनाम हुसैन बी :

शादी से पूर्व, एक मुस्लिम पत्नी एवं उसके पति के मध्य एक अनुबन्ध हुआ कि शादी के पश्चात पत्नी अपने मां-बाप के साथ रहने के लिए सदा स्वतन्त्र रहेगी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अनुबन्ध शून्य है।

(3) कपटपूर्ण (Fraudulent) :

जिस करार का उद्देश्य कपटपूर्ण है ऐसा करार अवैध होने के परिणामस्वरूप शून्य होता है।

दृष्टांत : अ और ब के मध्य एक करार होता है कि ब अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा बनाई गई कम्पनी के अंश खरीदने हेतु यह विश्वास देकर प्रेरित करता है कि इस प्रकार के अंशों का बाजार मूल्य है। ऐसा करार कपटपूर्ण है।

(4) **किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले करार**

(Agreement involving an injury to the person or property of another) :

यदि किसी अनुबन्ध का उद्देश्य अथवा प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का है तो ऐसी संविदा शून्य होगा।

रामस्वरूप बनाम बन्शी मन्दर : एक व्यक्ति ने ऋणदाता से 100 रु. ऋण के रूप में लिये तथा एक प्रोनोट दिया कि बिना कुछ लिए वह ऋण दाता के पास दो वर्ष तक नौकरी करेगा। यदि ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसे अधिक व्याज सहित 100 रु० शीघ्र ही वापस करने पड़ेंगे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा करार शून्य है क्योंकि इस करार में दासता तथा शारीरिक हानि प्रतीत होती है।

(5) **अनैतिक करार** (Immoral agreement)

ऐसे करार जिनका उद्देश्य अथवा प्रतिफल अनैतिक है, शून्य होते हैं। ऐसा कार्य जिसे समाज तथा विधि अनैतिक घोषित करदे एवं न्यायालय द्वारा मान्य न हो वही अनैतिक है।

दृष्टांत : अ अपना मकान वैश्यावृत्ति चलाने के लिए ब को किराये देता है इस प्रकार का शून्य है एवं मकान मालिक ब से किराया वसूल नहीं कर सकता।

6. **लोक नीति के विरुद्ध करार** (Agreements against public policy)

यदि कोई करार लोक हित में नहीं है तो वह करार लोक नीति के विरुद्ध माना जायेगा तथा ऐसा करार शून्य होगा। लोक नीति एक ऐसा सिद्धान्त है जिसके अनुसार संविदा करने की स्वतन्त्रता को समाज की भलाई के लिए कानून द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है। लोक नीति के कुछ शीर्षक सर्वज्ञात तथा मान्य है और न्यायालय लोक नीति के किसी नये शीर्षक का सृजन नहीं कर सकता।

उक्त सिद्धान्त का अनुमोदन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सुब्बाराव ने घेरूलाल बनाम महादेवदास के वाद में किया है। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार :

लोक नीति का सिद्धान्त एक मुद्रात्मक धारणा है, इसको अविश्वासनीय मार्गदशक, परिवर्तनशील गुणात्मक अनिश्चित तथा उद्दंड घोड़े की संज्ञा दी गई है। लोक नीति का सिद्धान्त कॉमन लॉ की एक शाखा मात्र है और कामन लॉ की तरह पूर्व निर्णयों से आबद्ध है। न्यायालयों ने इस प्रकार के करार को कई श्रेणियों में विभक्त किया है। लार्ड हेल्सबरी के अनुसार यह श्रेणियां अब बन्द हो चुकी हैं।

लोक नीति की श्रेणियों में शत्रु के साथ व्यापार, लोकपदों का विक्रय, न्यायप्रणाली में हस्तक्षेप, विवाह-दलाली के संविदे, विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले करार, सदचारण के प्रतिकूल करार व्यापार की स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले संविदे आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

शून्य करार (Void agreements)

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 के अनुसार ऐसा करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। ऐसे करार का उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होने के करण शून्य होंगे। इनमें निम्नलिखित करार शून्य होते हैं।

(1) बिना प्रतिफल के करार (धारा 25)

(2) विवाह अवरोधित करार (धारा 26)

(3) व्यापार अवरोधित करार (धारा 27)

(4) विविध कार्यवाही अवरोधित करार (धारा 28)

(5) अनिश्चित करार (धारा 29)

(6) पंद्यम करार (धारा 30)

(7) असम्भव कार्य करने का करार (धारा 56)

(1) बिना प्रतिफल के करार (Agreement without consideration)

धारा 25 उल्लेख करती है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, जिस करार में प्रतिफल नहीं होता है, वे शून्य होते हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं।

अपवाद 1. नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह

2. भूतपूर्व स्वच्छित सेवा

3. समय वर्जित ऋण

इस धारा का विस्तार में उल्लेख प्रतिकूल के अध्याय में किया गया है।

2. **विवाह अवरोधित करार** (Agreement in restraint of marriage)

कोई ऐसा अनुबन्ध जो कि विवाह की स्वतन्त्रता में बाधा डालता है, वह शून्य है। भारतीय विधि के अनुसार पूर्व तथा अपूर्व अवरोध दोनों ही प्रकार के करार शून्य है। (धारा 26)

3. **व्यापार अवरोधित करार** (Agreements in restraint of trade) :

व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतन्त्रता एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। विधि का सिद्धान्त यह है कि लोकनीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कारोबार की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। धारा 27 के अनुसार–

"प्रत्येक करार, जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्व वृत्ति व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता हो, उस विस्तार तक शून्य है"

मूलत: आंग्ल विधि में व्यापार अवरोधित करार पूर्वरूप से शून्य थे लेकिन नोर्डनझेल्ट बनाम मेक्सिम नोर्डनझेल्ट कं.[1] के वाद में हुए निर्णय के पश्चात से आंशिक अवरोध जो कुछ समय तथा कुछ सीमा के भीतर लगाये जाते हैं मान्य है। उक्त वाद में एक बन्दूक तथा बारूद अविष्कारक ने अपने कारबार की गुडविल बेची और क्रेता के साथ यह करार किया कि (1) वह ऐसा व्यापार 25 वर्ष तक नहीं करेगा (2) कोई भी ऐसा कारोबार नहीं करेगा जो क्रेता के कारबार के मुकाबले में हो। बाद में वह एक दूसरी कम्पनी की नौकरी में गया जो बन्दूके तथा बारूद बनाने का कार्य करती थी और क्रेता ने उसे रोकने के लिए वाद चलाया। निर्णीत हुआ कि इस करार का पहला भाग विधि मान्य था क्योंकि यह क्रेता के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक था परन्तु दूसरा भाग जिसके द्वारा उसे किसी भी अन्य व्यापार करने में रोका गया था, शून्य हैं। क्योंकि यह न आवश्यक था न उचित। अब इंग्लैण्ड में पूर्व अवरोध शून्य है परन्तु आंशिक अवरोध हो सकते हैं जो पक्षकार के हित में लगाये जा सकते हैं और युक्तियुक्त होने चाहिये। परन्तु ऐसे अवरोध लोकहित के विरुद्ध नहीं हो सकते। परन्तु भारत में सभी प्रकार के अवरोध चाहे वे पूर्ण अथवा आंशिक हों, शून्य हैं। परन्तु इस धारा के अन्तर्गत कुछ अपवाद दिये हुये हैं :

1. **गुडविल का विक्रय** (Sale of good will) :

यदि क्रेता किसी विक्रेता से उसके व्यापार की गुलविल खरीद लेता है तो वह विक्रेता से अनुबन्ध कर सकता है कि वह उसी प्रकार का व्यापार फिर से शुरू नहीं करें, किन्तु इसके लिए निम्न शर्तें हैं--

(i) व्यापार पर अवरोध एक निश्चित सीमा के भीतर होना चाहिए।

(ii) व्यापार पर अवरोध उसी समय तक लागू रह सकता है, जब तक कि खरीददार अथवा उसका उत्तराधिकारी, व्यापार को करता रहे।

(iii) यदि न्यायालय इस प्रकार की सीमाओं को, व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत समझे।

2. **भागीदारी विधि के अन्तर्गत अपवाद :**
(Exception under law of partnership)

उक्त अपवाद के अतिरिक्त भारतीय भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत निम्न अपवाद दिये गये हैं--

(i) भागीदारी अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत साझेदार आपस में ऐसा अनुबन्ध कर सकते हैं कि जब तक कि वे साझेदार हैं, तब तक वे अन्य कोई व्यवसाय केवल साझेदारी व्यवसाय को छोड़कर नहीं कर सकते हैं। परन्तु ऐसा अवरोध निश्चित अवधि निश्चित सीमा एवं युक्ति युक्त होना चाहिए।

(ii) धारा 36 के अनुसार कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों से एक अनुबन्ध कर सकता है कि साझेदारी के विघटन के पश्चात वह इस प्रकार का व्यापार एक निश्चित सीमा तथा निश्चित अवधि में नहीं कर सकता है, यदि इस प्रकार का अवरोध न्यायालय की दृष्टि में युक्ति संगत है।

(iii) धारा 54 के अनुसार साझेदार आपस में मिल करके एक ऐसा करार उस समय कर सकते हैं जब तक साझेदारी समाप्त हो रही है, अथवा समाप्ति की संभावना हो, जिसके अनुसार कुछ अथवा सम साझेदार इस प्रकार का व्यवसाय एक निश्चित सीमा तथा निश्चित अवधि तक नहीं करेंगे। यदि न्यायालय इन अवरोधों को युक्ति युक्त समझता हो।

(iv) धारा 55 (3) के अनुसार यदि किसी साझेदार ने अपनी गुडविल का विक्रय कर

लिया है तो वह क्रेता से अनुबन्ध कर सकता है कि वह एक निश्चित सीमा तथा निश्चित अवधि तक ऐसा व्यापार नहीं करेगा जब तक कि क्रेता इस प्रकार का व्यवसाय करता रहेगा। यदि न्यायालय की दृष्टि में ऐसा अवरोध युक्ति संगत है।

3. **सेवा संविदे** (Contracts of Service)

यदि कोई व्यक्ति अपने नियोजक के यहाँ एक निश्चित समय तक नौकरी करने का करार करता है तो ऐसा करार वैध है। अधिकांशतः ऐसे करार नकारात्मक करार होते हैं। उदाहरणार्थ डाक्टर अपने सेवा काल में निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में चार्ल्स बर्थ बनाम मैकडोनाल्ड[2] मुख्य है।

अ, एक डाक्टर, जंजीबार में प्रेक्टिस करता था। ब, डाक्टर का सहायक बनने को सहमत हो गया। सेवा शर्तों में एक शर्त यह थी कि वह स्वयं जंजीबार में प्रेक्टिस नहीं करेगा। किन्तु इस व्यक्ति ने एक वर्ष में ही सहायक के पद को छोड़कर प्रेक्टिस शुरू कर दी। न्यायालय ने निर्णय देते हुए लिखा कि इस प्रकार का अनुबन्ध मान्य है तथा अ को 3 वर्ष तक के लिए प्रेक्टिस करने से अोवरोधित किया जा सकता है।

यह सिद्धान्त उच्चतम न्यायालय ने निरजन शंकर गोलीकारी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग कम्पनी लि.[६] में सही बताया।

एक कम्पनी जो टायरों के लिए तागा बना रही थी उसे एक विदेशी निर्माता ने सहयोग का वचन इस शर्त पर दिया कि कम्पनी तकनीकी जानकारी का रहस्य बनाये रखेगी और अपने कर्मचारियों से भी रहस्य बनाये रखने का वचन लेगी। प्रतिवादी को इस कम्पनी में पांच वर्ष के लिए काम मिला। शर्त यह थी वह इन पांच सालों में यही काम कहीं और नहीं करेगा चाहे वह कम्पना छोड़ दे। न्यायालय ने इस करार को विधिमय ठहराया।

परन्तु यदि नियोजक ने स्वेच्छा से अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है तो यह संविदे का खण्डन माना जावेगा एवं कर्मचारी अवरोधक करार से स्वतन्त्र है।

व्यापारिक संगठन (Trade Combinations)
व्यापारिक संगठन व्यापारियों या निर्माताओं द्वारा संगठित बनाकर व्यापार-चलाना

एक ही व्यापार में लगे हुए व्यापारियों या निर्माताओं द्वारा संगठित बनाकर व्यापार-चलाना करीब-करीब एक ही प्रथा बढ़ा चुका है। जैसे कि बर्फ बनाने वालों का संगठन ऐसे संगठन का प्रारम्भिक उद्देश्य व्यापार को नियमबद्ध करना होता है न कि उसका अवरोध करना। ऐसे सगठन प्राय: व्यापार के हित में तथा जनता के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। दुकानें खोलने एवं बन्द करने के समय निर्धारण, मूल्यों का निर्धारण यह सब अवैध नहीं है, चाहे इससे कुछ सीमा तक व्यापारिक स्वतन्त्रता कट जाये।

(5) अनन्य अभिकरण : मालिक अपने अभिकर्ता के साथ करार के द्वारा उसे दूसरे प्रतिस्थाई सामान को बेचने के लिए अवरोधित कर सकता है। इस प्रकार का अवरोध विधि के अन्तर्गत माना जायेगा।

4. विधिक कार्यवाही अवरोधित करार

(Agreements in restraint of legal proceedings) :

यदि किसी अनुबन्ध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से रोकना है तो अवैध तथा लोकनीति के विरुद्ध होने के परिणामस्वरूप शून्य है। उदाहरण के लिए यदि किसी करार में ऐसी कोई शर्त है जो कि संविदा के पक्षकारों को न्यायालय में वाद लाने से वंचित करती हो तो ऐसा करार शून्य होगा।

धारा 28 के अन्तर्गत दो किस्म के करार शून्य है।

(1) ऐसा करार जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने विधिक अधिकार जो संविदा द्वारा उत्पन्न हुये हैं उन्हें विधिक कार्यवाही से वर्जित रखना।

(2) ऐसे करार जो वाद चलाने के लिए जो साधारण समय बताया गया है उससे कम करते हों।

अपवाद : इस धारा के अन्तर्गत निम्न अपवाद मुख्य है।

(1) पंच निर्णय को सौंपने का करार :–यदि पक्षकार आपस में मिलकर यह करार करते हैं कि उनके मध्य उत्पन्न हुए विवाद को पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तो ऐसा करार शून्य नहीं है।

(2) भूतकालीन मतभेद :-यदि मतभेद करार से पूर्व के हैं तो करार द्वारा भूतकालीन मतभेदों को पंच-निर्णय के लिये सौंपा जा सकता है, इस प्रकार का करार भी शून्य नहीं होगा ।

5. **अनिश्चित करार** (Agreements which are uncertain)

वे करार, जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किये जाने योग्य नहीं है शून्य है । (धारा 29)

द्रष्टांत : ख को क "एक सौ टन तेल" बेचने का करार करता है । उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल चाहा गया था । करार अनिश्चित के कारण शून्य है ।

(ii) क "रामनगर में मेरे धान भण्डार में का सारा धान" ख को बेचने का करार करता है । यहां कोई अनिश्चित्त नहीं है जिससे कि करार शून्य हो जाते ।

ख को क "मेरा सफेद घोड़ा पांच सौ रुपये या एक हजार रुपये के बेचने का करार करता है । यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इन दो कीमतों में से कौनसी दी जानी है । करार शून्य है ।

6. **पंद्यम् करार** (Agreements by way of wager)

पंदयम् करार उसे कहते हैं जिसके द्वारा दो पक्षकार एक भविष्य कालीन अनिश्चित घटना के बारे में बिभिन्न मत रखते हुए आपस में तय करते हैं कि उस घटना के निश्चयीकरण हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कुछ धन या कोई अन्य बस्तु जीतेगा । दोनों पक्षकारों में से किसी का भी उस घटना के होने या न होंने में केबल उस धन को हारने या जीतने के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ नहीं होता है और न कोई अन्य प्रतिफल ही दिया जाता है । पंदयम् संविदा के लिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक पक्षकार को हारने या जीतने की सम्भावना हो ।[4] किसी पक्षकार का हारना या जीतना घटना के परिणाम पर निर्भर करता है अतः हार जीत तब तक अनिश्चित रहती है जब तक कि घटना का परिणाम ज्ञात न हो जाए । यदि कोई पक्षकार जीत सकता है परन्तु हार नहीं सकता है या हार सकता है परन्तु जीत नहीं सकता, तो यह पंदयम् करार नहीं हैं ।

धारा 30 के अनुसार पंदयम् करार शून्य होते हैं। न्यायाधीश सुब्बाराव ने घेरूलाल बनाम महादेव दास में[5] विलियम ऐन्सन की परिभाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। ऐन्सन के अनुसार पंदयम् करार में एक अनिश्चित घटना हो जाने पर कुछ धन या धन के स्थान पर कुछ वस्तुएं देने का करार किया जाता है।

एक पंदयम् करार में निम्नांकित शर्तें पूरी होनी चाहिये।

(i) **अनिश्चित घटना :** (Uncertain Event) ऐसे करार में एक आवश्यक तथ्य यह है कि सौदे का परिणाम एक अनिश्चित घटना के निश्चयी करण पर निर्भर करता है। सामान्यतया ऐसी घटना भविष्यकालीन होती है परन्तु भूतपूर्व घटना के बारे में पदयम् करार किया जा सकता है बशर्ते कि पक्षकारों को घटना के परिणाम या समय के बारे में कुछ भी ज्ञान न हो। यदि कोई उम्मेदवार चुनाव जीत चुका है तो दो व्यक्ति जिन्हें यह नहीं मालूम है कि जीतने या हारने के बारे में शर्तें लगा सकते हैं।

लाभ और हानि (Gain and Loss) :

पंद्यम करार से दूसरा तत्व यह है कि घटना का निश्चयीकरण होने पर प्रत्येक पक्षकार के जीतने या हारने की संभावना हो यदि यह संभावना नहीं है तो करार पद्यम नहीं है। इसी कारण कारलिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कम्पनी[6] के बाद में संविदा को पंद्यम नहीं माना गया क्योंकि न तो कम्पनी को कुछ जीतने का अवसर था और न मिसेज कारतिला को हटाने का। यही कारण है कि चिटफण्ड पद्यम करार की परिभाषा में नहीं आता। यह आशय है कि किसी सदस्य को कुछ लाभ मिल सकता है, परन्तु किसी भी सदस्य का रुपया डूब नहीं सकता क्योंकि किश्तों द्वारा जमा धन चिट की अवधि समाप्त होने पर उसे लौटा दिया जाता है।

घटना किसी पक्षकार के नियन्त्रण में न हो (Neither party to have control over the event) पद्यम करार का तीसरा तत्व यह है कि घटना के घटित होने पर किसी पक्षकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। यदि घटना का होना किसी पक्षकार के बस की बात है इससे तो पद्यम के एक अनिवार्य लक्षण का अभाव होता है।

घटना में कोई अन्य हित नहीं होना चाहिये (No other interest in the event) घटना के निश्चयीकरण में जीतने या हारने वाले धन या वस्तु के अतिरिक्त पक्षकारों का कोई अन्य स्वार्थ नहीं होता है । इसी कारण से पद्यम करार को बीमा सविदा से अलग रखा जाता है । एक बीमा संविदा के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि बीमा योग्य हित मौजूद हो । बिना ऐसे हित के बीमा सविदा भी पद्यम करार होंगे, अतः शून्य होंगे ।

करार पद्यम है अथवा नहीं यह करार की प्रकृति पर निर्भर करता है ।

पद्यम करार के परिणाम (Effects of wagering agreement) पद्यम करार शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता । धारा 30 केअनुसार पद्यम करार शून्य है, और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए वाद नहीं लाया जायेगा, जो पद्यम पर जीती गई अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के बारे में कोई पदयम किया गया हो, परिणाम के अनुसार व्ययनित की जाने का न्यस्त की गई हो ।

यह धारा ऐसे चन्दे या अभिदाय को, या चन्दा देने या अभिदाय करने के ऐसे करार को विधि विरुद्ध बना देने वाली न समझी जायेगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को प्रदेय किसी ऐसी प्लेट परितोषित धनराशि के लिए दिया जाय, जिसका मूल्य या रकम पांच सौ रुपये या उससे अधिक है ।

इस धारा के प्रावधान घुड़दौड़ से सम्बन्धित किसी ऐसे संव्यवहार को जिसे भारतीय दण्ड की धारा 294 (क) लागू है, वैध बना देने वाली नहीं समझी जायेगी ।

इस धारा का परिणाम यह है कि पद्यम द्वारा जीता हुआ धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है । पंद्यम के द्वारा जीते गये धन या वस्तु को प्रतिफल मानकर कोई अन्य करार भी नहीं किया जा सकता है यदि पद्यम के करार में बाजी के लिए रुपया किसी तीसरे पक्षकार को दिया है तो ऐसा पक्षकार पुनः रुपया ले सकता है बशर्ते कि बाजी जीतने वाले ने तृतीय पक्षकार से रुपया वसूल न किया है ।

सांपार्श्विक संव्यवहार (Collateral Transaction)

पंद्यम करार शून्य है लेकिन विधि द्वारा वर्जित नहीं है । अतः ऐसे करार धारा 23 के अन्तर्गत अवैध नहीं हैं और इसी कारण से पंद्यम करार से है सम्बन्धित सांपार्श्विक संव्यवहार प्रवंत-

नीय है । इसी आधार पर घेरुलाल पारिख ब महादेवदास के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में एक अभिकर्त्ता को, जिसने अपने मालिक के लिए किये गये पंद्यम करारों में होने वाले नुकसान का भुगतान कर दिया था, अपने मालिक से उस धन को प्राप्त करने के लिए अधिकारी ठहराया गया । इसी वाद में यह भी निर्णीत किया गया कि पंदयम-सव्यवहार के लिये स्थापित की गई भागीदारी धारा 23 में अवैध नहीं है अतएवं एक भागीदार जिसने पद्बम हानि का भुगतान कर दिया है दूसरे भागीदार से आनुपातिक हानि प्राप्त कर सकता है ।

अपवाद (Exceptions) : पंद्यम करार के विधिक प्रावधान के अनुसार निम्न अपवाद हो सकते हैं ।

(1) घुड़दौड़ (Horse race)--संविदा अधिनियम की धारा 30 (2) यह स्पष्ट करती है कि किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए है, दिये गये हैं या देने अभिदान के लिए किये गये करार अवैध नहीं हैं अर्थात घुढ़दौड़ के विजेताओं को 500 रुपये या अधिक पुरुस्कार देने के लिये अभिदान देने का करार पंद्यम करार नहीं हैं ।

2. वर्ग पहेली प्रतियोगितायें (Crossward competitions) यदि किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कुशलता की आवश्यकता हो तो उसे उसे बाजी का ठहराव नहीं कहा जा सकता है । सचित्र पहेली, तैराकी व कुश्ती प्रतियोगिता में पर्याप्त कुशलता आवश्यक है । यदि करार से किसी पक्षकार को हानि नहीं हो तो वह कार्य नहीं होगा ।

3. चिटफण्ड (Chitfunds) इसमें सदस्य अपना ही धन प्राप्त करते हैं अतः यह पद्यम करार नहीं हैं ।

बीमे के करार : बीमें के करार भी पंदयम् करार नहीं हैं क्योंकि बीमे के संविदे में बीमा कराने वाले का हित होता है बीमे का करार बीमा योग्य हित (Insurable interest) के आधार पर किया जाता है तथा यह करार जनता के लिए लाभदायक है ।

4. व्यापारिक संव्यवहार (Trade combinations) : व्यापारिक संव्यवहारों में यदि दोनों पक्षकार माल की वास्तविक सुपुर्दगी न लेकर सौदे की तिथि तथा सुपुर्दगी की तिथि का मूल्यों

का अन्तर लेकर ही संव्यवहार करते हैं तो ऐसे करार पंद्यम करार होंगे । परन्तु उक्त उद्देश्य नहीं है तो पंद्यम करार नहीं होगा ।

5. लौटारियां : लाटरी का टिकट खरीदने के लिये किया गया करार पंद्यम करार हैं यह केवल व्यर्थ ही नहीं अवैध है । सरकार भी आज्ञा प्राप्त कर लाटरी चलाना केवल दण्ड से मुक्ति दिलाता है ।

असंभव कार्य करने का करार

(Agreement to do impossible act) :

यदि पक्षकारों को करार करते समय कार्य की असंभावता का पता था तो करार प्रारम्भ से ही व्यर्थ होंगे । ऐसे करार में यदि एक पक्षकार को असंभवता का ज्ञान था या वह साधारण प्रयत्न से असंक्ता का पता लगा सकता था तथा दूसरे पक्षकार को असंभवता का ज्ञान नहीं था तो पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार को करार की पालना न होने के कारण हुई क्षति के लिये नुकसानी के प्रति उत्तरदायी होगा (धारा 56)

दृष्टांत (i) अ ब को 100 रुपये देने का करार करता है यदि ब दो समान्तर रेखाओं को मिला दे । यह असंभव कार्य है अतः करार व्यर्थ है ।

2. अ ब के साथ विवाह करने का ठहराव करता है । अ स के साथ विवाहित है तथा यह जानता है कि एक से अधिक पत्नी रखना विधि द्वारा वर्जित है । ब को विवाह न हो सकने के कारण जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए अ उत्तरदायी होगा, इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन संविदा का पालन नामक अध्याय में किया गया ।